

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना निवासी रोहर तहसील मासलपुर जिला करौली — अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-30.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 33 दिनांक 30.07.91 से किस्म बाराणी-2 से श्री धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना के नाम जरिए आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना निवासी रोहर तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072-75, नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 30.07.91 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार मासलपुर द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स नियम विरुद्ध है और खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 18/5 रकबा 1-00 विस्वा किस्म गै.मु. नाला बाके ग्राम मुंशीपुरा में स्थित है जिसे प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया था और आवंटन के बाद से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि काश्ता भूमि है कोई नाला नहीं है। प्रार्थी आवंटन के समय से ही लगातार काश्त करता चला आ रहा हूं। मौके पर कोई गै.मु. नाला नहीं है। मौके पर काश्ता भूमि है और प्रार्थी बतौर आवंटी काबिज काश्त है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा मुझ प्रार्थी के विरुद्ध की गयी रेफरेन्स कार्यवाही गलत है और खारिज की जावे। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 33 दिनांक 30.07.91 से किस्म बाराणी-2 से श्री धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना के नाम जरिए आवंटन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी

खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि तहसीलदार मासलपुर द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स नियम विरुद्ध है और खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 18/5 रकबा 1-00 विस्वा किस्म गै.मु. नाला बाके ग्राम मुंशीपुरा में स्थित है जिसे प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया था और आवंटन के बाद से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि काश्ता भूमि है और मौके पर कोई नाला नहीं है। प्रार्थी बतौर आवंटी काबिज काश्त है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को खारिज किये जाने का किया है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) गै0 मु0 नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 33 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा श्री धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना दिनांक 30.07.91 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) श्री धनपाल पुत्र रामोली जाति मीना निवासी रोहर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मुंशीपुरा (नरायणा) की आराजी खसरा नंबर 18/5 रकबा 1-00 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(गन्मूल पहाडिया)

जिला कलक्टर

करौली